RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

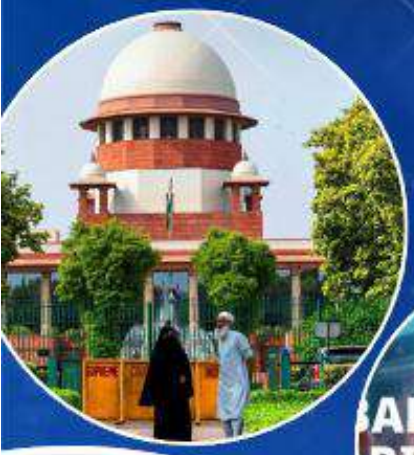

DATE
सितंबर
17
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया / SC Refuses To Stay Waqf Law

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने **वक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025** के कुछ प्रावधानों को लागू होने से रोका है, लेकिन कानून को पूरी तरह स्थगित करने से इनकार कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक़्फ़ के लिए संपत्ति समर्पित करने से पहले पाँच साल तक सक्रिय मुस्लिम होना जरूरी था, उसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए-

- कोर्ट ने सरकारी अधिकारी को वक़्फ़ संपत्ति और सरकारी जमीन के बीच विवाद निपटाने का अधिकार अस्थायी रूप से रोका, यह कहते हुए कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होगा।
- कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे विवादित संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकारों का निर्माण तब तक नहीं होगा, जब तक ट्रिब्यूनल मामले का निपटारा नहीं कर देता।
- **गैर-मुस्लिम सदस्य:**
  - वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था अभी भी लागू
  - हालांकि, बोर्ड के ex officio सदस्य के रूप में संभव हो तो मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए।
  - केंद्रीय वक्फ़ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य और राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
- कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये अवलोकन केवल प्रारंभिक (prima facie) हैं और इससे पक्षकारों को अधिनियम की वैधता पर आगे की दलीलें पेश करने से रोक नहीं जाएगा।

अप्रैल में बना कानून:

- वक्फ (संशोधन) बिल 2025 बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास हुआ।
- **लोकसभा:** 288 सांसदों ने समर्थन किया।
- **राज्यसभा:** 232 सांसदों ने समर्थन किया।
- **5 अप्रैल 2025** को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दी।
- इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर विवाद

1. **धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन:** मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों और बोर्ड का प्रबंधन धार्मिक विषय है। नए प्रावधान सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाते हैं।
2. **संवैधानिक अधिकारों पर असर:** संगठनों के अनुसार यह अधिनियम संविधान के **अनुच्छेद 25 और 26** का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है।
3. **परामर्श की कमी:** अधिनियम बनाने से पहले मुसलमानों और वक्फ निकायों से पर्याप्त राय नहीं ली
4. **नई शर्तें और अधिकार:**
   - वक्फ घोषित करने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम **5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का पालन करने** की शर्त रखी गई है।
   - इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया।
5. **राजस्व अधिकारियों को अधिकार:** विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों में अब कलेक्टर और राज्य राजस्व अधिकारियों को शक्ति मिलेगी। इससे वक्फ बोर्ड की भूमिका कमजोर हो सकती है।
6. **धार्मिक भेदभाव का आरोप:** मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि ये प्रावधान केवल **वक्फ संपत्तियों** पर लागू होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं पर ऐसी बाध्यता नहीं है।

वक्फ (Waqf) का अर्थ:

1. **परिभाषा:** वक्फ उन संपत्तियों को कहते हैं जिन्हें इस्लामी कानून के तहत **धार्मिक या चैरिटेबल (परमार्थ)** उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है।
2. **उपयोग की मनाही:** वक्फ संपत्ति की **बिक्री या किसी अन्य निजी उपयोग** की अनुमति नहीं होती।
3. **स्वामित्व का स्थानांतरण:** जब कोई व्यक्ति संपत्ति को वक्फ घोषित करता है तो उसका स्वामित्व **अल्लाह के नाम पर** हो जाता है। यह निर्णय **अपरिवर्तनीय** होता है।
4. **मुख्य भूमिकाएँ:**
   - **वाकिफ (Wakif):** वह व्यक्ति जो संपत्ति वक्फ करता है।
   - **मुतवल्ली (Mutawalli):** वह प्रबंधक जो वक्फ संपत्ति की देखरेख और प्रशासन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के तहत लाने की याचिका खारिज की / SC Rejects Plea to Bring Political Parties Under POSH Act

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल में सदस्यता किसी नौकरी के रूप में नहीं मानी जा सकती, इसलिए राजनीतिक दलों को 2013 के 'महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, रोकथाम और निवारण) अधिनियम' के तहत नहीं लाया जा सकता।

पृष्ठभूमि:

- Centre for Constitutional Rights Research and Advocacy बनाम State of Kerala & Ors (2022) मामले में केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी (employer-employee) संबंध नहीं होता।
- इसलिए, उन्हें कानूनन आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- इस तरह की कानूनी अस्पष्टता और राजनीतिक दलों की विकेन्द्रीकृत व अनौपचारिक संरचना को ही अक्सर उनकी अनुपालन न करने (non-compliance) का मुख्य कारण बताया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 – PoSH Act

परिचय

- **PoSH Act, 2013** का उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है।
- यह अधिनियम **शिकायत निवारण तंत्र** (Complaint Redressal Mechanism) स्थापित करता है और सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।

मुख्य पहलू:

1. **उत्पत्ति (Origin):** यह अधिनियम **विशाखा गाइडलाइन्स (1997, सुप्रीम कोर्ट)** पर आधारित है, जिन्होंने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए प्रारंभिक कानूनी ढांचा दिया।
2. **परिधि (Scope):**
   - यह सभी **महिला कर्मचारियों** पर लागू होता है - चाहे वे नियमित, अस्थायी, अनुबंध पर हों या प्रशिक्षु।
   - **कार्यस्थल (Workplace)** की परिभाषा व्यापक है - इसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार के कार्यस्थल शामिल हैं।
3. **यौन उत्पीड़न की परिभाषा (Definition):** अवांछित यौन व्यवहार जैसे -
   - शारीरिक स्पर्श,
   - यौन प्रस्ताव,
   - यौन लाभ की माँग,
   - अश्लील टिप्पणियाँ,
   - शत्रुतापूर्ण/असुरक्षित माहौल बनाना।
4. **शिकायत निवारण तंत्र: Internal Complaints Committee (ICC):**
   - हर संस्था में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों।
   - महिला अध्यक्ष और 50% सदस्य महिलाएँ होनी चाहिएं।
   - **Local Committee (LC):**
     - उन संस्थाओं के लिए जहाँ 10 से कम कर्मचारी हों या शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो।
     - जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित।
5. **नियोक्ताओं के दायित्व (Employer Obligations):**
   - ICC/LC का गठन।
   - कर्मचारियों को जागरूक करना।
   - शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सार्वजनिक करना।
6. **क्रियान्वयन और चुनौतियाँ:**
   - कानून महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियाँ हैं, जैसे -
     - कम जागरूकता,
     - संस्थागत अनुपालन (compliance) की कमी,
     - शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाहट।

राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति ढांचा / National Global Capability Centres (GCC) Policy Framework

संदर्भ:

हाल ही में, Confederation of Indian Industry (CII) ने एक राष्ट्रीय Global Capability Centres (GCC) नीति ढांचा पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत को इनोवेशन-आधारित GCCs का वैश्विक मुख्यालय बनाना है।

- इस पहल का लक्ष्य 2030 तक 20-25 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना और अर्थव्यवस्था पर $600 बिलियन का प्रभाव डालना है।

Union Budget 2025–26 और GCC Framework:

- **प्रस्ताव:** 2025-26 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय ढाँचा (National Framework) बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों, विशेषकर टियर-2 शहरों में कैपेबिलिटी सेंटर्स (Capability Centres) स्थापित करने में मार्गदर्शन देना है।
- **पूरक नीति:** यह ढाँचा CII (Confederation of Indian Industry) की आने वाली Model State GCC Policy को पूरा करेगा।
- **महत्त्व:**
  - इससे **केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय (Centre–State Alignment)** स्थापित होगा।
  - लक्ष्य है कि भारत की **GCC footprint को 2030 तक दोगुना** किया जाए।

GCCs के बारे में-

- **परिभाषा:** GCCs (Global Capability Centres) वे ऑफ़शोर सेंटर्स हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) स्थापित करती हैं। इनका उद्देश्य अपनी मूल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), और सर्विस डिलीवरी जैसी क्षमताएँ प्रदान करना होता है।
- **महत्त्व (Significance):**
  - भारत आज वैश्विक GCC हब बन चुका है और दुनिया के लगभग 50% GCCs भारत में स्थित हैं।
  - ये केंद्र भारत की राष्ट्रीय GDP में लगभग 1.8% योगदान करते हैं।
  - FY25 में भारत के GCC इकोसिस्टम का कुल रोजगार प्रभाव लगभग 10.4 मिलियन आंका गया है।

राष्ट्रीय नीति हेतु सुझाया गया ढाँचा:

1. रणनीतिक प्राथमिकताएँ (Strategic Priorities):

- 2030 तक लक्ष्य: **5,000 GCCs** स्थापित करना।
- कुल **GVA योगदान $470–600 बिलियन** तक बढ़ाना।
- **20–25 मिलियन लोगों** को रोजगार उपलब्ध कराना।
- उभरते क्षेत्र: **क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थकेयर, इंडस्ट्री 4.0** आदि।

2. सफलता के लिए कारक:

- **टैलेंट डेवेलपमेंट:** उद्योग-अकादमिक सहयोग, विशेष पाठ्यक्रम (specialized curriculum)।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** वर्ल्ड-क्लास *plug-and-play* इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमिक ज़ोन, डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर।
- **लोकेशनल कैपेबिलिटी:** टियर-2/3 शहरों में इनोवेशन हब, डेटा सेंटर और R&D ज़ोन स्थापित करना।

3. परफॉर्मेंस लीवर्स:

- **पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स:** GCC निवेशकों के लिए *single window platform*, तेज़ अनुमोदन (fast-track approvals), टैक्स इंसेंटिव (tax holidays, export incentives, investment allowances)।
- **निवेश सुविधा (Investment Facilitation):** पारंपरिक बाज़ार (US, UK) और नए क्षेत्रों (Japan, Nordics, Australia आदि) में प्राथमिकता। नियामक मार्गदर्शन (regulatory handholding)।
- **शासन ढाँचा (Governance Framework):** राष्ट्रीय GCC काउंसिल, समर्पित GCC सेल्स, अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह, और इंडस्ट्री एडवाइजरी पैनल।

भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / India's Outward FDI

संदर्भ:

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में भारत का लगभग 56% outward FDI ऐसे देशों में निवेशित हुआ जहाँ कर दरें कम हैं। प्रमुख गंतव्य देशों में सिंगापुर, मॉरीशस, UAE, नीदरलैंड, यूके और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं।

बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Outward FDI) रुझान:

मुख्य आँकड़े (2023–24):

- कुल ₹3,488.5 करोड़ के Outward FDI में से ₹1,946 करोड़ (56%) टैक्स हेवन्स (low-tax jurisdictions) में गया।
- प्रमुख गंतव्य: सिंगापुर (22.6%), मॉरीशस (10.9%), और यूएई (9.1%) – तीनों मिलकर कुल निवेश का 40% से अधिक।

टैक्स हेवन्स की ओर रुझान के कारण:

1. **बीच का ठिकाना:** ये देश Special Purpose Vehicles (SPVs) के रूप में काम करते हैं, जिससे कंपनियों का वैश्विक विस्तार आसान होता है।
2. **कर दक्षता:** हिस्सेदारी (stake) कम करने या फंड ट्रांसफर के समय कम टैक्स देना पड़ता है।
3. **निवेशकों की पसंद:** वैश्विक साझेदारों को सीधे भारत में निवेश कराने से आसान है सिंगापुर/मॉरीशस जैसे देशों के माध्यम से निवेश कराना।
4. **नियामकीय सुरक्षा:** भारतीय पैरेंट कंपनी को घरेलू नियमों और अनुपालन (compliance) जोखिम से बचाता है।
5. **सुविधा:** भारत की तुलना में इन देशों के कानून लचीले हैं और फंड का आवागमन तेज़ी से हो सकता है।
6. **पूंजी जुटाने का लाभ:** ऐसे देशों में पूंजी जुटाना (capital raising) अपेक्षाकृत आसान होता है।
7. **वैश्विक प्रचलन:** दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी इन टैक्स हेवन्स का इसी तरह उपयोग करती हैं।

बाहरी FDI के प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव (Positive Implications)

1. **भारतीय कंपनियों का वैश्विक विस्तार (Global Expansion):**
   - सिंगापुर या मॉरीशस के रास्ते निवेश करने से भारतीय कंपनियाँ *Special Purpose Vehicles (SPVs)* बनाकर अंतरराष्ट्रीय हब स्थापित कर सकती हैं।
   - **उदाहरण:** Infosys और Bharti Airtel ने एशिया-प्रशांत (Asia-Pacific) संचालन के लिए सिंगापुर स्थित सहायक कंपनियाँ बनाई हैं।
2. **साझेदारी और विदेशी पूंजी तक पहुँच (Joint Ventures & Foreign Capital):**
   - टैक्स हेवन्स, जहाँ द्विपक्षीय निवेश संधियाँ और स्थिर कानूनी ढाँचा मौजूद होता है, वहाँ विदेशी साझेदार और वेंचर कैपिटल लाना आसान होता है।
3. **विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन:**
   - चूँकि अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी लो-टैक्स देशों का उपयोग करती हैं, इसलिए भारतीय कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।

बाहरी FDI के प्रभाव (Implications):

1. टैक्स नीति संबंधी चिंताएँ:

- टैक्स हेवन्स के उपयोग से *राउंड-ट्रिपिंग* (भारतीय पैसा वापस भारत में निवेश बनकर लौटना) और *बेस इरोशन* (कर आधार का क्षरण) जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- इससे कर राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

2. पूंजी की दक्षता (Capital Efficiency):

- वैश्विक पूंजी बाज़ारों तक पहुँच आसान होती है।
- कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर *क्रॉस-बॉर्डर डील्स* और अधिग्रहण (acquisitions) आसानी से कर पाती हैं।

3. नियामकीय प्रभाव (Regulatory Impact):

- यह प्रवृत्ति भारत के *FDI नियमों और टैक्स संधियों* (tax treaties) को और स्पष्ट तथा कड़ा बनाने की ज़रूरत को दर्शाती है।
- सही ढाँचा न होने पर दुरुपयोग (misuse) की संभावना बढ़ जाती है।

4. प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness):

- टैक्स हेवन्स भारतीय कंपनियों को *उच्च टैरिफ* और जटिल नियमों से बचने का विकल्प देते हैं।
- इससे वे वैश्विक बाज़ार में अपनी मौजूदगी और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मज़बूत बना पाती हैं।

सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों का स्थानांतरण / Translocation of Tigers to Sahyadri Tiger Reserve

संदर्भ:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व (TATR)** और **पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR)** से **8 बाघों के स्थानांतरण** की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करना है।

महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिज़र्व:

1. सह्याद्री टाइगर रिज़र्व (Sahyadri Tiger Reserve – STR):

- **स्थान:** सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी महाराष्ट्र।
- **जिले:** कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी।
- **गठन:** चांदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया।
- **विशेषता:** मध्य भाग में कोयना नदी का शिवसागर जलाशय और वारणा नदी का वसंत सागर जलाशय स्थित है।

2. पेंच टाइगर रिज़र्व (Pench Tiger Reserve – PTR):

- **स्थान:** सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान।
- **जिले:** मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ।
- **गठन:** पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य से मिलकर।
- **विशेषता:** पेंच नदी उत्तर से दक्षिण बहते हुए उद्यान को दो भागों में बाँटती है।
    - मेघदूत बाँध पेंच नदी पर, इस रिज़र्व की सीमा पर स्थित है।

3. ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व:

- **स्थान:** चंद्रपुर ज़िला, विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र।
- **गठन:** ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य से मिलकर।
- **विशेषता:** *अंधारी नदी* इस रिज़र्व से होकर बहती है।

सह्याद्री टाइगर रिज़र्व में टाइगर ट्रांसलोकेशन क्यों हो रहा है?

1. कम संख्या में बाघ:

- यहाँ घना वनस्पति आवरण है, फिर भी बाघों की संख्या बहुत कम रही है।
- हाल ही में केवल कुछ नर बाघों की तस्वीरें यहाँ दर्ज की गई हैं।

2. बाघ आबादी को पुनर्जीवित करना:

- यह योजना **लंबी अवधि की टाइगर रिकवरी योजना** का हिस्सा है।
- उद्देश्य: सह्याद्री में स्थायी और प्रजनन योग्य (breeding) बाघों की आबादी स्थापित करना।
- ध्यान देने योग्य है कि बाघों ने इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से कभी उपनिवेशित (colonise) नहीं किया।

3. उपयुक्त आवास:

- **WII (Wildlife Institute of India)** और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 20+ बाघों के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- कारण: मजबूत शिकार आधार (prey base) और बड़ा वन क्षेत्र (large forest cover)।

4. पारिस्थितिक महत्व:

- सह्याद्री रिज़र्व में बाघों को पुनर्जीवित करने से **पश्चिमी घाट (Western Ghats)** के पारिस्थितिक गलियारे (ecological corridors) को मजबूत किया जा सकेगा।
- यह क्षेत्र गोवा और कर्नाटक से जुड़ाव बनाए रखने में मदद करेगा।
- सह्याद्री *कोयना* और *वारणा* नदियों के जलग्रहण क्षेत्र (catchment area) का हिस्सा है, जो लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड / National Makhana Board

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **पूर्णिया, बिहार** में **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड** का शुभारंभ किया। इस दौरान मखाना क्षेत्र के विकास के लिए लगभग **₹475 करोड़ का पैकेज** भी स्वीकृत किया गया।

मखाना (Fox Nut / Gorgon Nut / Euryale ferox):

परिचय:

- मखाना एक *जलीय फसल* (aquatic crop) है, जो स्थिर तालाबों और आर्द्रभूमियों (wetlands) में उगाई जाती है।
- इसके खाद्य भाग छोटे, गोल बीज होते हैं, जिनकी बाहरी परत काले से भूरे रंग की होती है। इसी कारण इसे *"ब्लैक डायमंड"* भी कहा जाता है।

जलवायु परिस्थितियाँ:

- आदर्श तापमान: **20–35°C**
- आर्द्रता (Relative Humidity): **50–90%**
- वार्षिक वर्षा: **100–250 सेमी**

भौगोलिक विस्तार:

- भारत में:
  - **बिहार** में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है (लगभग 90%)।
  - विशेष रूप से **मिथिलांचल और सीमांचल** क्षेत्र प्रसिद्ध हैं।
  - कम मात्रा में असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में भी खेती होती है।
- अन्य देश: नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया।

विशेष पहचान: वर्ष **2022** में *'मिथिला मखाना'* को **GI टैग (Geographical Indication Tag)** प्राप्त हुआ।

उन्नत बाँझ कीट तकनीक / Enhanced-SIT

संदर्भ:

उत्तरी ग्रीस के **नाउस्सा** क्षेत्र में वैज्ञानिक **Enhanced Sterile Insect Technique (Enhanced-SIT)** का परीक्षण कर रहे हैं। इस तकनीक का उद्देश्य आक्रामक फल मक्खी प्रजातियों को नियंत्रित करना है, जो विशेषकर **आड़ू (peach)** जैसी फसलों के लिए खतरा बनी हुई हैं।

Project REACT:

परिचय: **Project REACT** एक **EU-वित्तपोषित (EU-funded)** प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत **€6.65 मिलियन**, अवधि **4 वर्ष** और इसमें **12 देश (जिनमें UK, इज़राइल और साउथ अफ्रीका भी शामिल)** भाग ले रहे हैं।

लक्ष्य कीट (Target Pests):

1. **Mediterranean fruit fly:** प्रमुख स्थानीय कीट।
2. **Oriental fruit fly:** एशिया से आया आक्रामक कीट।
3. **Peach fruit fly:** एशिया से फैला विनाशकारी कीट।

उपयोग की गई विधि:

- यूनिवर्सिटी ऑफ़ पाट्रास (University of Patras) में **नसबंदी किए गए नर मक्खियों (Sterile Male Flies)** को पाला गया।
- इन मक्खियों को *बैक्टीरियल सप्लीमेंट्स* दिए जाते हैं, जिससे वे ज्यादा मजबूत, लंबे समय तक जीवित और संभोग (mating) में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
- परिणामस्वरूप मादा मक्खियों से कोई संतान नहीं होती और धीरे-धीरे पूरी कीट आबादी समाप्त हो जाती है।

महत्त्व (Significance):

- **कीटनाशक-मुक्त**, **पर्यावरण के अनुकूल** और **जैविक खेती संगत** तरीका।
- यूरोप में पहली बार इस *बेहतर नसबंदी कीट विधि* का छोटे पैमाने पर फील्ड ट्रायल किया गया।
- शुरुआती नतीजों में कीट आबादी में उल्लेखनीय कमी पाई गई।
- जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों के बीच, यह **भूमध्यसागरीय और यूरोपीय देशों के लिए मॉडल pest control strategy** साबित हो सकता है।

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Baaten Bazar Ki
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
EMI AVAILABLE
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR